क्रम संख्या–194

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 17 नवम्बर, 2015 ई0

कार्तिक 26, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 332 / XXXVI(3) / 2015 / 63(1) / 2015

देहरादून, 17 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015'** पर दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 21 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015

(अधिनियम संख्या 21 वर्ष 2015)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये–

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

धारा 48 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005, (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 48 की वर्तमान उपधारा (1), (2) व उपधारा (3) निम्नवत् संशोधित कर दी जायेगी; अर्थात–

48. घोषणा पत्रों द्वारा माल का राज्य के अन्दर आयात/परिवहन :

(1) कर के परिहार या अपवंचन अथवा कर के परिहार या अपवंचन के प्रयास को रोकने या नियन्त्रित करने के उदेश्य से, यह प्राविधानित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अथवा व्यौहारी (जिसे आगे इस नियम में आयातकर्ता कहा गया है) जो धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल को, विक्रय, उपयोग, उपभोग अथवा अन्य व्यवस्थापन हेतु, ऐसी मात्रा या माप या ऐसे माल की कीमत से अधिक कीमत का माल, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के अन्दर लाने की, आयात करने की या अन्यथा प्राप्त करने की इच्छा करता है, विहित प्ररूप में घोषणा पत्र /ई–घोषणा पत्र अथवा प्रमाण पत्र/ ई–प्रमाण पत्र, ऐसी सूचनाओं से युक्त एवं ऐसी रीति से, जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाय, प्राप्त करेगा;

परन्तु यह कि यदि आयातकर्ता कारबार के सम्बन्ध से भिन्न प्रयोजन के लिये ऐसे माल को लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इरादा रखता है, तो वह अपने विकल्प पर उसी प्रकार प्रमाण पत्रों/ई–प्रमाण पत्रों का विहित प्रपत्र प्राप्त कर सकता है;

परन्तु यह और कि कमिश्नर विज्ञप्ति द्वारा व्यौहारियों की श्रेणी अथवा सभी व्यौहारियों के लिये विहित प्ररूप में ऑनलाइन घोषणा पत्र हेतु आवेदन करना तथा प्राप्त करना तथा उन्हें अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार प्रयोग करना अनिवार्य/ वैकल्पिक कर सकता है। इस पाठ में ऐसे घोषणा पत्रों को आगे ई–घोषणा पत्र कहा गया है।

(2) जहाँ ऐसे माल का सड़क मार्ग से परेषण किया जाना है :

(क) आयातकर्ता विहित घोषणा पत्र/ई–घोषणा पत्र विहित रीति से प्राप्त करेगा तथा माल के संचलन के दौरान अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज रखेगा–

(i) ऐसा, सम्यक रूप से डुप्लीकेट में भरे हुये एवं हस्ताक्षरित, घोषणा पत्र, जिसके अपेक्षित विवरण की प्रविष्टि ऑनलाइन प्रस्तुत ट्रिपशीट में की गयी है, जैसा कि, धारा 48 क में प्राविधानित है।
परन्तु यह कि जहां ई–घोषणा पत्र का प्रयोग किया गया है एवं ऐसे घोषणा पत्र के अपेक्षित विवरण सम्यक रूप से ऑनलाइन भरे गये हैं तथा इनकी प्रविष्टि ऑनलाइन प्रस्तुत ट्रिपशीट में की गयी है, जैसा कि धारा 48 क में प्राविधानित है। ऐसे ई–घोषणा पत्र की प्रति माल के संचलन के साथ परिवहित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) धारा 48 क में विहित प्रावधानों के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत ट्रिपशीट की ऐसी प्रति, जो अपेक्षित सूचना, जिसमें, ऐसे घोषणा पत्र/ई–घोषणा पत्र के अपेक्षित विवरण सम्मिलित हैं, से युक्त हो।

(iii) ऐसे माल से सम्बन्धित बिक्री बीजक/बिल या चालान या इसी तरह के अन्य दस्तावेज;

(iv) संचलित माल से सम्बन्धित जी0आर0/बिल्टी या माल के हक के दस्तावेज एवं धारा 42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान पर अपेक्षा करने पर इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा।

(ख) आयातकर्ता उपरोक्त खण्ड (क) में उल्लिखित घोषणा पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की प्रतियां, जो उसे या उसके अभिकर्ता को दी गयी है, ऐसी अवधि तक संरक्षित रखेगा जैसा कि विहित किया जाय और उन्हें ऐसी रीति के अनुसार और ऐसी अवधि के भीतर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाय।

उपधारा (2) के खण्ड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जायेगा; अर्थात–

(ग) यदि किसी भी स्तर पर धारा 42 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के अर्न्तगत प्राधिकृत अधिकारी का, माल के स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यह समाधान हो जाये कि पूर्ववर्ती उपधाराओं में वर्णित माल, विहित रीति से और विहित प्ररूप में, ट्रिपशीट को ऑनलाइन प्रस्तुत किये बिना परिवहन किया गया है, अथवा ऐसी ट्रिपशीट की प्रति को साथ लिये बिना, परिवहन किया गया है, और यह कि ऐसा माल;

(i) धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में उल्लिखित अनुसूची 1 में वर्णित माल से भिन्न है; और

(ii) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग व उपभोग के लिये नहीं है;

तो यह समझा जायेगा कि माल के स्वामी द्वारा ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या देय कर या संभाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने हेतु किया जा रहा है।

(3) यदि ऐसा माल राज्य में व्यक्तिगत सामान के रूप में लाया जाता है तो, माल लाने वाला व्यक्ति अपने साथ विहित प्रपत्र में सम्यक रूप से भरा हुआ और आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र रखेगा और आयातकर्ता उसे इस निमित्त कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष ऐसी अवधि के अन्दर जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित की जाय, पृष्ठांकन किये जाने के लिये प्रस्तुत करेगा।

परन्तु यह कि जहां ई–घोषणा पत्र का प्रयोग किया गया है एवं ऐसी घोषणा के अपेक्षित विवरण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर कमिश्नर द्वारा विहित प्रारूप में सम्यक रूप से ऑनलाइन भरे गये हैं तथा इनकी प्रविष्टि ऑनलाइन प्रस्तुत फार्म में कर दी गयी है, वहां ऐसे ई–घोषणा पत्र की प्रति माल के संचलन के साथ परिवहित करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा वहां यह समझा जायेगा कि व्यौहारी द्वारा ई–घोषणा पत्र के पृष्ठांकन सम्बन्धी प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है।

धारा 49 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में वर्तमान प्रथम परन्तुक के पश्चात् नया परन्तुक का जोड़ा जाना

3. "मूल अधिनियम" की धारा 49 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के वर्तमान प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात–

"परन्तु यह कि जहां ई–घोषणा पत्र का प्रयोग किया गया है एवं ऐसी घोषणा के अपेक्षित विवरण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर कमिश्नर द्वारा विहित प्रारूप में सम्यक रूप से ऑनलाइन भरे गये हैं तथा इनकी प्रविष्टि ऑनलाइन प्रस्तुत फार्म में कर दी गयी है, वहां ऐसे ई–घोषणा पत्र की प्रति माल के संचलन के साथ परिवहित करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा वहां यह समझा जायेगा कि व्यौहारी द्वारा ई–घोषणा पत्र के पृष्ठांकन सम्बन्धी प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है।"

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।